Gmail

Rslsajp Rslsa <rslsajp@gmail.com>

Resolutions passed in the Central Authority Meeting of NALSA held on 17.09.2015

1 message

NALSA <nalsa-dla@nic.in> Tue, Oct 13, 2015 at 11:17 AM

To: Andaman & Nicobar SLSA <slsa.and@nic.in>, Andhra Pradesh SLSA <apslsauthority@yahoo.com>, Arunachal Pradesh SLSA <apslsa2013@rediffmail.com>, Assam SLSA <assamslsa@gmail.com>, Bihar SLSA <bslsa_87@yahoo.in>, Chandigarh SLSA <slsa_utchd@yahoo.com>, Chhattisgarh SLSA <cgslsa@gmail.com>, Dadra & Nagar Haveli SLSA <dj-dnh@nic.in>, Daman & Diu SLSA <damancourt@gmail.com>, Delhi SLSA <dlsathebest@rediffmail.com>, Delhi SLSA <dslsa-phc@nic.in>, Goa SLSA <ms-gslsa.goa@nic.in>, Gujarat SLSA <msguj.lsa@nic.in>, Harayana SLSA <hslsa.haryana@gmail.com>, Haryana SLSA <hslsa@hry.nic.in>, Himachal Pradesh <mslegal-hp@nic.in>, Jammu & Kashmir SLSA <jkslsa1234@gmail.com>, Jammu & Kashmir SLSA <rnwatal@gmail.com>, Jharkhand SLSA <jhalsaranchi@gmail.com>, Karnataka SLSA <karslsa@gmail.com>, Kerala SLSA <kelsakerala@gmail.com>, Lakshadweep SLSA <lakshadweepjusticeforall@gmail.com>, Madhya Pradesh SLSA <mplsajab@nic.in>, Maharashtra SLSA <mslsa-bhc@nic.in>, Manipur SLSA <maslsa.imphal@gmail.com>, Meghalaya SLSA <megshillong@gmail.com>, Meghalaya SLSA <mslsashillong@gmail.com>, Mizoram SLSA <mizoramslsa@gmail.com>, Nagaland SLSA <nslsa.nagaland@yahoo.in>, Odisha SLSA <oslsa@nic.in>, Odisha SLSA <oslsa1997@gmail.com>, Puducherry SLSA <msutplsa@gmail.com>, Punjab SLSA <ms@pulsa.gov.in>, Rajasthan SLSA <rslsajp@gmail.com>, Rajasthan SLSA <rj-slsa@nic.in>, Sikkim SLSA <sikkim_slsa@live.com>, Tamil Nadu SLSA <tnslsa@gmail.com>, Telengana SLSA <telenganaslsa@gmail.com>, Tripura SLSA <tslsaagt@gmail.com>, Uttar Pradesh SLSA <upslsa@nic.in>, Uttarakhand SLSA <ukslsanainital@gmail.com> West Bengal SLSA <wbstatelegal@gmail.com>

F.No.L/25/2015/CA/NALSA

Dated: 13th October, 2015

To

The Member Secretary,

All SLSAs

Sir/Madam,

The following decisions had been taken in the meeting of the Central Authority of NALSA chaired by Hon'ble Patron-in-Chief, NALSA on 17.09.2015 at Judges'Lounge, Supreme Court of India: -

1) SLSAs may be requested to organise special camps with the help of DLSAs in Jails for disposal of cases through Plea-bargaining after undertaking all necessary ground work through panel lawyers and PLVs. All SLSAs will be requested to upload all data of various legal services activities on their website every month.

2) All the High Court Legal Services Committees and SLSAs may use their cost funds in order to help the creation of a Corpus to support the High Court Middle Income Group Society if they need some financial assistance for running the society.

3) Honorarium schedule at the National Judicial Academy is adopted for making payment to trainers and master trainers for conducting training programmes for panel lawyers (copy of the schedule of the NJA is enclosed).

4) Evaluation and Scrutiny Committee at the High Court may continue to scrutinize and evaluate applications for legal services including to challenge the circulars, rules or enactment on the ground that they violate any legal, statutory or constitutional right.

5) The Presiding Judges, Members of Lok Adalat and staff will be paid one day's basic pay as special duty allowance for each day of Lok Adalat which is held on a holiday. This recommendation is however the minimum payable and SLSAs are free to pay any other amount over & above this amount.

6) All SLSA Chairpersons are to be requested to start sending reports as to the performance of Mediation Centres and the number of Mediators trained to the NALSA. The High Court Mediation Centres will be requested to send report of its activities to NALSA.

You are requested to take necessary steps for implementation of the above resolutions of the Central Authority.

may be requeste

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

आलोक अग्रवाल
सदस्य सचिव
ALOK AGARWAL
(Delhi Higher Judicial Service)
Member Secretary

12/11 जाम नगर
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-1
12/11, Jam Nagar
Shahjahan Road, New Delhi-1

F.No.L.39/2015/NALSA
Dated: 1st February, 2016

To

The Member Secretary
All SLSAs.

Sir/Madam,

As you are aware, this Authority has already conveyed to your State Legal Services Authority the following decision taken by the Central Authority in its meeting held on 17.09.2015: -

"It was resolved that the Presiding Judges, Members of Lok Adalat and staff will be paid one day's basic pay as special duty allowance for each day of Lok Adalat which is held on a holiday. This recommendation is however the minimum payable and SLSAs are free to pay any other amount over and above this amount."

2. As it may be seen from the above decision of the Central Authority, it is clarified that State Authorities may utilise the funds allotted by NALSA for the purpose of payment of special duty allowance to the Presiding Officers, Members of Lok Adalat and Staff in connection with the conduct of Lok Adalat. The State Authority is free to pay any other amount over and above the amount of one day's basic pay. As the payment of special duty allowance to Advocate conciliator is linked up with the activities of Lok Adalats, it is clarified that NALSA funds may be utilised for the said purpose. The quantum of honorarium payable to advocate conciliator may be decided with the approval of the Hon'ble Executive Chairman of the State Authority.

With regards,

Yours Sincerely,

Alok Agarwal

(Alok Agarwal)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line15100)

क्रमांक :– 12369–012402 दिनांक :– 01-12-2015

प्रेषितिः–

श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त (राज०)

विषय :– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.9.2015 में लिए गये निर्णयों की कियान्विति के कम में

महोदय,

निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.9.2015 में लिए गये निर्णयों की पालना में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

कृपया पूर्व की भॉति अपने न्यायक्षेत्र के सभी कारागृहों पर विधिक जागरूकता टीम को नियमित रूप से भेजकर शिविर आयोजित करें जिनमें विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ अभिवाक सौदेबाजी (Plea Bargaining) तथा राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में बन्दियों को सुझाव दें और उन्हें प्रेरित करें।

आपके न्यायक्षेत्र की बैव साईट पर आपके न्यायक्षेत्र के विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से अपलोड कराने की व्यवस्था करायें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संभाग मुख्यालयों पर पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने की एवज में इस कार्यालय द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा रहा है लेकिन संभाग स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत सभी जिला न्यायक्षेत्रों में पैनल अधिवक्तागण को प्रशिक्षण देने के कम में प्रत्येक प्रशिक्षक पैनल अधिवक्ता को एक दिन के प्रशिक्षण के लिए 3,000/–(तीन हजार) रूपये की दर से मानदेय राशि का भुगतान करें। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आने वाले पैनल अधिवक्तागण को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यात्रा व्यय के अलावा प्रतिदिन 500/रूपये के हिसाब से मानदेय अदा करें। यह भुगतान धारा 4 (सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि से किया जावे।

नाल्सा के निर्देश पर राजकीय अवकाश के दिन लोक अदालत आयोजित होने पर भविष्य में लोक अदालत बैन्च के न्यायिक अधिकारी सदस्य को एवं लोक अदालत के कार्य में ड्यूटी पर बुलाये गये स्टाफ के कर्मचारियों को एक

दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिया जावेगा लेकिन लोक अदालत बैन्च के दूसरे सदस्यों को पूर्व की भॉति 500/रूपये प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। अवकाश के दिन आयोजित लोक अदालत के मानदेय का भुगतान धारा 4 (सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बजट से किया जावेगा।

Annexure - 9

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना करें और पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायें। सादर।

भवदीय,

30/1/15

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

पी0एस0

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line15100)

क्रमांक :– रालसा/2016/15 दिनांक :–17.11.2016

प्रेषिति :–

श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषय :– अवकाश के दिन लोक अदालतों के आयोजन होने पर मानदेय के भुगतान बाबत।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 12369–12402 दिनांक 01.12.2015 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र दिनांक 1.2.2016

———

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों (जिनकी प्रति सुलभ सन्दर्भ के लिये संलग्न है) के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, जिला एवं ताल्लुका स्तर पर राजकीय अवकाशों के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत/ लोक अदालत आयोजित किये जाने पर मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निम्नांकित परिपत्र जारी किया जा रहा है :–

परिपत्र

1. लोक अदालत पीठ के अध्यक्ष/सदस्य यदि सेवारत न्यायिक अधिकारी/अन्य सेवारत अधिकारी को बनाया जावे तब उन्हें एक दिन का मूल वेतन मानदेय के रूप में दिया जावेगा।

2. सेवानिवृत्त अधिकारी को लोक अदालत पीठ का अध्यक्ष/सदस्य बनाया जाने पर उन्हें तत्समय मिल रही पेंशन के अनुसार एक दिन का मूल वेतन दिया जावेगा।

3. लोक अदालत पीठ के सदस्यों के रूप में कार्य करने वाले अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 37 के तहत प्रत्येक लोक अदालत बैठक के लिये 500/रूपये (अक्षरे पॉच सौ रूपये) मानदेय दिया जावेगा।

4. लोक अदालत वाले दिन यदि किसी अधिवक्ता काउन्सलर की सेवायें लोक अदालत की काउन्सलिंग के लिये ली जावें तब उन्हें भी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 के विनियम 37 के अनुसार 500/रूपये (अक्षरे पॉच सौ रूपये) मानदेय प्रत्येक लोक अदालत के लिये दिया जावेगा।

5. लोक अदालत के कार्य में ड्यूटी पर बुलाये गये स्टाफ् के कर्मचारियों को एक दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिया जावेगा।

17/11/16

6. राजस्व न्यायालयों द्वारा भी यदि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजकीय अवकाश के दिनों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गठित लोक अदालत पीठों के माध्यम से लोक अदालत लगाये जाने पर उसके अध्यक्ष/ सदस्यगण/कर्मचारीगण को भी उपरोक्तानुसार भुगतान देय होगा।

7. अवकाश के दिन आयोजित लोक अदालत के मानदेय का भुगतान धारा 4 (सी) नाल्सा बजट से किया जावेगा।

उपरोक्त सभी निर्देश राजकीय अवकाश के दिन लगाई जाने वाली लोक अदालतों के लिए ही प्रभावी होंगे।

लोक अदालत पीठों की संख्या/ लगाये जाने वाले मुकदमों की संख्या आदि को देखते हुये आवश्यकतानुसार ही कर्मचारीगण को लगाया जावे।

यह परिपत्र दिनांक 1.12.2015 से प्रभावी होगा।

17/11/16

(एस0 के0 जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
क्रमांक :- 16763-16772 दिनांक :- 18.11.2016

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
1. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर
2. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/एवं उप सचिव(एक्शन प्लान) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं उप सचिव , राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर
3. महालेखाकार, जयपुर।
4. इन्चार्ज, लेखा शाखा/ स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा ।

17/11/16
सदस्य सचिव

पी0एस0

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: **rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com,** website: **www.rlsa.gov.in)**

क्रमांकः F7 ( )रालसा/स्थापना/एनएलए/डीएसएडीआर/2017/275 दिनांकः 3.6.2017

कार्यालय आदेश

जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में राजकीय अवकाश के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तब लोक अदालत की बैंच में कार्य करने वाले पीठासीन अधिकारी, रीडर, स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारी को मानदेय दिए जाने बाबत् इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में पत्रांक 12369–12402 दिनांक 01.12.2015 एवं पत्रांक रालसा/2016/15 दिनांक 17.11.2016 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त दोनों निर्देशों की निरन्तरता में यह स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि राजकीय अवकाश के दिन आयोजित होने वाली लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैंच से संबंधित कर्मचारी के अतिरिक्त **किसी अन्य लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी लिखित में ड्यूटी लगाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको भी एक दिन के मूल वेतन के बराबर विशेष कार्य भत्ता दिया जावेगा।**

इस संबंध में यह भी दिशा–निर्देश जारी किया जाता है कि बैंचों से संबंधित कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाते समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष **कार्य की प्रकृति एवं कार्य भार को ध्यान में रखकर ड्यूटी का कार्यालय आदेश जारी करें, ताकि राजकोष पर अनावश्यक भार ना पड़े।**

यहाँ यह भी स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि यह विशेष कार्यभत्ता राजकीय अवकाश के दिवस पर राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्य करने के कारण दिया जा रहा है। अतः यदि इस दिवस के अतिरिक्त सम्पूर्ण माह के लिए कोई अन्य विधिक भत्ता या मानदेय किसी लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिया जा रहा है तो वह भत्ता/मानदेय इस विशेष कार्य भत्ते से प्रभावित नहीं होगा। यह विशेष कार्यभत्ता धारा 4(सी) में आवंटित बजट से दिया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 01.12.2015 से प्रभावी होगा, किन्तु यदि किसी कर्मचारी के द्वारा राजकीय अवकाश के दिवस पर कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश (CCL) का उपभोग कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे यह विशेष कार्य भत्ता नहीं दिया जावेगा।

(एस.के. जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांकः F7 ( )रालसा/स्थापना/एनएलए/डीएसएडीआर/2017/7249-7473 दिनांकः 08-06-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
4. उप सचिव प्रथम/द्वितीय/एक्शन प्लान एवं एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
5. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(अनुतोष गुप्ता) 03/06/17
उप सचिव
(एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर)